पत्र संख्या–आई0टी0 ई–वे बिल/2017–18/ 1525/1718072 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0–अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: दिसम्बर, 18 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया प्रांत बाहर से प्रांत के अन्दर माल लाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन ई–वे बिल Generate करने हेतु निर्गत परिपत्र संख्या–1718025 दिनांक 16.08.2017, 1718028 दिनांक 22.08.2017 एवं 1718065 दिनांक 07.12.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से ई–वे बिल डाउनलोड करने के लिए व्यापारियों को GSTIN के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर Register करने तथा ई–वे बिल डाउनलोड करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी निर्धारित प्रक्रिया में व्यापारी Online Registration के समय जी0एस0टी0एन0 में Register कराये गये मोबाइल नम्बर, ई–मेल पर Password प्रेषित किये जाते है। Registration के समय Email, Mobile No. तथा Legal name के अतिरिक्त अन्य समस्त फील्ड व्यापारी द्वारा स्वतः अंकित की जाती है। कतिपय मामलों में यह प्रकाश में आया है कि व्यापारी द्वारा गलत कार्यालय का चयन Dropdown से कर लिया गया है जिसके कारण व्यापारी द्वारा डाउनलोड किये गये ई–वे बिल की सूचना सम्बंधित कर निर्धारण कार्यालय के अधिकारियों के Login पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तथा इससे ई–वे बिल मॉनिटरिंग का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित नहीं किया जा पा रहा है।

उक्त समस्या के समाधान हेतु ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा ई–वे बिल में रजिस्ट्रेशन करते समय गलत कार्यालय का चयन किया गया है उनके द्वारा अंकित किये गये कर निर्धारण कार्यालय तथा व्यापारी द्वारा जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर चयनित किये गये कार्यालय की सूची प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी के Login पर उपलब्ध करा दी गई है प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जी0एस0टी0 के Back Office Module में उनके Login के अन्दर उपलब्ध Registration register में व्यापारी के द्वारा दिये गये व्यापार स्थल के पते के आधार सही कर निर्धारण कार्यालय निर्धारित किया जायेगा। गलत चयन की स्थिति में ई–वे बिल पोर्टल पर उपलब्ध Sector Officer Login से व्यापारी के GSTIN को अंकित कर उसके सही कार्यालय का चयन किया जायेगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्यालय के परिवर्तन करने पर व्यापारी द्वारा पूर्व में डाउनलोड किये गये समस्त ई–वे बिल की सूचना नये अंकित कार्यालय के Login में उपलब्ध हो जायेगी। समस्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह कार्य दिनांक 22.12.2017 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0),वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।